क्रम-संख्या–173

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 सितम्बर, 2022

भाद्रपद 10, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

———————

संख्या 1288/नौ–9-2022-45 ज-17 टी0सी0

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2022

———————

अधिसूचना

प0आ0–478

भारत के 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्देशित सुधारों के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों में वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति से सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं कर निर्धारण तथा निकायों में वित्तीय संसाधन के सृजन और विकास में प्रभावी परामर्श और संस्तुतियां देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2011) लागू किया गया और उसकी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना संख्या 649/नौ–9–2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, दिनांक 17 अगस्त, 2016 को प्रख्यापित की गयी है।

2–उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 10 के खण्ड (झ) और नियमावली, 2016 के नियम 19 के उपनियम (2) में बोर्ड की वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने और सरकारी गजट में प्रकाशित करने के प्राविधानों के अधीन बोर्ड की वर्ष 2022–23 की कार्य–योजना निम्नवत् हैः–

(1) नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करने और राजस्व के विभिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता के निर्धारण की दृष्टि से विगत 02 वर्षों में आकलनगत नगरीय निकायों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, उनके द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय उपलब्धियों और इस दिशा में किए गए प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। इस अवधि में जिन नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की वित्तीय क्षमता और वित्तीय संसाधनों की कार्य क्षमता का जो निर्धारण किया गया है उसके सापेक्ष उनकी उपलब्धियों पर समीक्षात्मक टिप्पणी और सलाहकारी बिन्दुओं से सम्बन्धित नगरीय निकायों तथा नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को अवगत कराया जाएगा।

(2) प्रदेश के 05 नगर निगमों, 20 नगर पालिका परिषदों और 50 नगर पंचायतों की वित्तीय संसाधनों की क्षमता का आकलन और विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धियों की तुलनात्मक समीक्षा और अध्ययन किया जाएगा। इन नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों का चिन्हांकन उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा। इनमें वे नगर निगम, नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें सम्मिलित नहीं होंगी जिनकी वित्तीय क्षमता की समीक्षा और निर्धारण गत वर्ष किया जा चुका है।

(3) राज्य में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के स्वामित्व, प्रबन्धन और निहित सम्पत्तियों को प्रगणित कराकर, डिजिटलाइज कराने और डाटाबेस तैयार कराने की दिशा में अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी और समस्त विवरण जन सामान्य के संज्ञानार्थ उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(4) नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर, जल कर, और अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करने तथा इस दिशा में सम्बन्धित नगरीय निकायों तथा राजस्व अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम 05 मण्डलों में मण्डल स्तर पर तथा न्यूनतम 25 जनपदों में जनपद स्तर पर कार्यशालायें और समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से नगरीय निकायों में सम्पत्तियों के मूल्यांकन और वार्षिक मूल्य के निर्धारण में पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और प्रभावी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जायेगा, स्वकर निर्धारण को जनप्रिय बनाने के उपायों पर विशेषज्ञतापरक विचार विनिमय किया जायेगा, कराच्छादन में वृद्धि और तत्सम्बन्धी विधियों और नियमों पर व्यापक प्रकाश डाला जाएगा। निकायों के अधिकारियों को इस संबंध में समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रयोक्ता प्रभारों, लाइसेंस शुल्क और अन्य करेतर मदों में शुल्क के अधिरोपण और उनके सापेक्ष सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय निकायों को जागरूक और दक्ष बनाने का प्रयास किया जायेगा।

(5) प्रदेश की नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में विभिन्न श्रेणी के सम्पत्तियों के सर्वेक्षण, चिन्हांकन, मूल्यांकन और कर निर्धारण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, आधार और गणना निरूपित करने, उसके सत्यापन, निरीक्षण और जाँच हेतु विधि सम्मत व्यवस्था का सूत्रपात करने और कराच्छादन बढ़ाने के नियम सम्मत तरीकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

(6) कराच्छादन की दृष्टि से प्रदेश की नगरीय निकायों की सीमा में अवस्थित सभी प्रकार की समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। मूल्यांकन मे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और कर के भुगतान से छूट प्राप्त सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित की जानी चाहिए। मूल्यांकन के पश्चात् केन्द्र सरकार की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर अधिरोपित न कर नियमानुसार सेवा प्रभार देय होता है। राज्य सरकार और स्थानीय निकाय की सम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर अधिरोपित होता है। छूट प्राप्त सम्पत्तियों को मूल्यांकन के पश्चात् नियमानुसार कर मुक्त किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नगरीय निकायें इस संबंध में तत्परतापूर्वक अपेक्षित कार्यवाही करें और श्रेणीवार कराच्छादित भवनों, केन्द्र सरकार की सम्पत्तियों, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्तियों, छूट प्राप्त सम्पत्तियों आदि की संख्या, वार्षिक माँग, वसूली आदि सूचनाएँ अभिलेखित करें।

(7) सम्पत्ति कर निर्धारण के लिए अपेक्षित सम्पत्ति की वार्षिक मूल्य की गणना हेतु प्रति वर्ग फुट मासिक किराया दर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, निर्माण की प्रकृति, कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और इस क्षेत्र में प्रचलित किराया दर और अन्य कारकों के आधार पर नियत करने का प्रावधान है। नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों और नगर निगमों के नगर आयुक्तों द्वारा उपरोक्तानुसार यथा प्रावधान कार्यवाही करने में कठिनाई आती है। इस संबंध में मासिक किराया दरों के नियत कालिक पुनरीक्षण की रूपरेखा के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी।

(8) प्रदेश में नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधनों के सृजन और विकास, कर एवं करेतर स्रोतों विशेषकर सम्पत्ति कर, प्रयोक्ता प्रभारों और शुल्कों के अधिरोपण, देयों की संग्रह प्रणाली आदि को सरल, सहज, पारदर्शी और जनानुकूल बनाने के उद्देश्य से उनका अध्ययन कर संस्तुतियाँ देने और उपयुक्त आधार सुझाने के दृष्टिकोण से देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर वहाँ की नगरीय निकायों का अध्ययन किया जायेगा और अभिनव प्रयोगों और नवाचार के दृष्टिगत हितकारी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जायेगी।

(9) विगत 05 वर्षों में गठित नगर पंचायतों कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को विधिक व्यवस्था के अधीन वित्तीय संसाधनों के सृजन, कराधिरोपण की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के देयों की संग्रह प्रणाली, निहित सम्पत्तियों का अभिलेखीकरण उनका रख–रखाव और समुचित उपयोग, कम्प्यूटराइजेशन आदि से सम्बन्धित विषयों से अवगत कराया जाएगा।

(10) नगरीय निकायों के कृत्यों के निष्पादन, कराच्छादन, अवस्थापना सुविधाओं के प्रबन्धन और सम्पत्तियों के चिन्हांकन आदि में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) की उपयोगिता से नगरीय निकायों के कार्मिको को अवगत कराने के उद्देश्य से 'नगरीय निकायों में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग' पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया है। नगरीय निकायों में उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कृत कार्यवाही और तत्सम्बन्धी अभिलेखों के रख–रखाव के साथ वित्तीय संसाधनों के सृजन में निकाय किस स्तर तक पहुँच सका है, इसका अनुश्रवण किया जायेगा।

(11) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा राज्य की जिन नगरीय निकायों में सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उनकी सीमान्तर्गत स्थित विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का मूल्यांकन सुनिश्चित कर कराधिरोपण की कार्यवाही कराई जायेगी। सम्पत्तियों के मूल्यांकन कराधान और करों के संग्रह की प्रक्रिया और रीति तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखों के रख–रखाव और डिजिटाइजेशन से वहाँ के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

(12) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने अथवा नगरीय निकाय द्वारा अनुरोध किए जाने पर यथापेक्षित प्रयोक्ता प्रभारों, वित्तीय संसाधनों के सृजन, कराधिरोपण के निमित्त सम्पत्तियों के चिन्हांकन और मूल्यांकन, क्षेत्र आधारित किराया मूल्य के निर्धारण, स्व कर निर्धारण प्रणाली के क्रियान्वयन, वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धित उपविधियों के गठन, देयों के भुगतान के सरलीकरण और अभिलेखों के डिजीटलाइजेशन आदि के संबंध में सम्यक् अध्ययनोपरान्त विशेषज्ञता परक परामर्श दिये जायेंगे।

(13) नगरीय निकायों में वित्तीय प्रबन्धन/संसाधन, लेखा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और निकायों की क्षमता संवर्धन के उपायों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों/विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी।

(14) प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारियों को नगरीय निकायों में वित्तीय संसाधनों, कराच्छादन, करेतर मदों और तत्सम्बन्धी अन्यान्य विषयों के संबंध में नगरीय निकाय निदेशालय तथा नगरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षित और दक्ष किया जायेगा। इसके लिए नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अद्यावधिक प्रशिक्षण माड्यूल भी तैयार किया जायेगा।

(15) अन्य ऐसे प्रावधानित कृत्यों को निष्पादित किया जायेगा या ऐसे संगत विषयों पर परामर्श, संस्तुति, अभिमत या टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बोर्ड से अपेक्षा की जायेगी अथवा प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा अनुरोध किया जायेगा।

(16) अन्य ऐसे कृत्यों को निष्पादित किया जायेगा जैसा समय–समय पर उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा अपने गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समझा जाय।

आज्ञा से,
अमित कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 519 राजपत्र–2022–(797)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 नगर विकास–2022–(798)–100 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
519 RPH 2022 (Nagar Vikas Anubhag-9) data 4e